न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 67/2021

1 बिड़दीचन्द पुत्र बालू उर्फ बल्लाराम जाति माली निवासी वार्ड नं. 43 झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 कमल सैनी पुत्र बनवारीलाल।
2 नाथी पत्नी बनवारीलाल।
3 सुरेश कुमार पुत्र बनवारीलाल।
4 शुभकरण पुत्र बनवारीलाल समस्त जाति माली निवासीगण वार्ड नं. 43 झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
5 मन्जू उर्फ कौशल्या पुत्र बनवारीलाल पत्नी श्यामसुन्दर जाति माली निवासी वाड्र नम्बर 23 पिंजरा पोल के पास फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
6 अनीता पुत्री बनवारीलाल पत्नी कन्हैयालाल।
7 सुनीता पुत्री बनवारीलाल पत्नी बाबूलाल समस्त जाति माली निवासीगण टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
8 रतनी पुत्री बालू उर्फ बल्लाराम पत्नी मनोहरलाल जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 43 झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
9 संतोष देवी पुत्री बालू उर्फ बल्लाराम पत्नी सज्जन कुमार जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 2 गुगोजी की ढ़ाणी चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
10 रामकरण पुत्र बालाराम जाति जाट निवासी कंकडेऊ खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
11 मनोहरी देवी पुत्री बालू उर्फ बल्लाराम पत्नी सोहनलाल।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

11/1 फूलचन्द पुत्र मनोहरी देवी।

11/2 होशियार सिंह पुत्र मनोहरी देवी समस्त जाति माली निवासीगण सुरजगढ़ तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

11/3 बसन्ती पुत्री मनोहरी देवी पत्नी भंवरलाल।

11/4 शान्ति देवी पुत्री मनोहरी देवी पत्नी प्यारेलाल समस्त जाति माली निवासीगण कायस्यपुरा पोस्ट बगड़ तहसील व जिला झुंझुनू।

11/5 सुमित्रा देवी पुत्री मनोहरी देवी पत्नी सुरेश जाति माली निवासी पिलानी तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

12 राजस्थान सरकार जरिये भूमिअधिकारी तहसीलदार झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

13 आयुक्त नगर परिषद झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 18.08.2021 प्रकरण
संख्या 93/2021 उनवानी कमल सैनी वगैरह बनाम
सुरेश कुमार वगैरह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू।

उपस्थिति :

1. श्री शीशराम सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अमित कुमार शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री ओमप्रकाश सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनू)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

–निर्णय–

दिनांकः– 30.1.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 93/2021 में पारित निर्णय दिनांक 18.08.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने धारा 212 का आवेदन प्रस्तुत कर कस्बा झुन्झुनू की भूमि खसरा नम्बर 2073, 2075 के संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा चाही। विचारण न्यायालय ने दिनांक 18.08.2021 को एकपक्षीय रूप से अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अपीलांट की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रार्थी कमल के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 01.04.2019 को सिविल न्यायालय से निरस्त किया जा चुका है। अपीलांट का विवादित भूमि में प्रथम दृष्ट्या कोई हक अधिकार नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2014–15 पेज 114, 112, आरआरडी 2017 पेज 110 के न्यायिक दृष्टात प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत अपील अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्ध है। विधि अनुसार अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं है। धारा 212 के आवेदन का अंतिम निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना शेष है। अतः इस स्तर पर अपील स्वीकार योग्य

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * (राजस्थान)

नहीं होने से खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 2014 पेज 345 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विधि अनुसार अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील इस न्यायालय में पोषणीय है किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में धारा 212 के आवेदन का अंतिम निस्तारण उभयपक्ष को सुनकर विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना शेष है। ऐसी स्थिति में गुणावगुण पर विवेचन किये बिना इस स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में धारा 212 के आवेदन का अंतिम निस्तारण आगामी 1 माह में किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 30-1-25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (राजस्थान)